

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिकेश कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।**

दिनांक २७/०८/२०२५

पत्रांक: 3310 / वाद संख्या-आर-0505 / 2025

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री शूरवीर सिंह विद्, निर्मल बाग, ब्लाक बी, गली न-11
रेड फोर्ट रोड स्कूल के समीप, ऋषिकेश।

विपक्षी द्वारा निर्मल बाग, ब्लाक बी, गली न-11, रेड फोर्ट रोड स्कूल के समीप, ऋषिकेश, जिला देहरादून में उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 25 फिट गुण 60 फिट के क्षेत्रफल पर भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के उपरान्त तृतीय तल पर कॉलम की कास्टिंग का निर्माण कार्य के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0505/2025 योजित करते हुए कमशः निर्माण कार्य रोको एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.04.2025 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 03.05.2025 की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा अपनी स्थलीय आख्या दिनांक 23.08.2025 में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा नियत तिथि को प्रार्थना पत्र के साथ मानचित्र संख्या पीआर/6540/24-25 प्रस्तुत कर बताया कि उनके द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से मानचित्र जमा कराया गया परन्तु विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकवाने के बाद भी निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर प्रश्नगत वाद को लघ्वित रखना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को यथावत रोकने हेतु विपक्षी के निर्माण को सीलबन्द किये जाने के संस्तुति की गयी है।

-आदेश-

श्री शूरवीर सिंह विद्, रेड फोर्ट रोड स्कूल के समीप, ऋषिकेश, जिला देहरादून में विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में भोके पर किये गये उपरोक्त वर्णित उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अर्धीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 30.08.25 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त गारिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करावे। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न हटाने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर वसना हो तथा एक प्रति विपक्षी को तानिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल (नहिला व पुरुष) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथाचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, वाहनक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, वतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कयाना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।



00050

